राज्य स्तरीय

विनिर्माता/आयातक/पुलहैंडलिंग एजेंसी/थोक उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र।

(जाँच –पत्र)

1. प्रपत्र–A_1 की दो प्रतियाँ।
2. आवेदक के आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. आवेदक के पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व–अभिप्रमाणित पाँच फोटो।
5. पंजीयन शुल्क : रू० 2250/– का कोषागार चालान की मूल प्रति।
6. (क) स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
   (ख) प्रपत्र–"ओ" निर्गत्त करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
7. शपथ पत्र(नोटराइज्ड) जिसमें उल्लेख हो कि :
   (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हूँ। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण–पत्र निलम्बित नहीं हुआ है। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण–पत्र रद्द नहीं हुआ है।
8. (क) रसायनिक उर्वरक निर्माता कम्पनियों के लिए विनिर्माण पंजीकरण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण पत्र का अभिप्रमाणित प्रति।
   (ख) जैव एवं कार्बनिक उर्वरक निर्माता कंपनी के उद्योग का जिला कृषि पदाधिकारी से उद्योग स्थापित है या नहीं का जाँच प्रमाण पत्र।
9. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम ऑफ एशोसिएशन की प्रति अथवा यदि स्वयं का फर्म है तो शपथ पत्र(नोटराइज्ड)।
10. विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विपणन प्रमाण–पत्र की स्व– अभिप्रमाणित प्रति।
11. विनिर्माता/पूल–हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा–24 के तहत नियुक्ति पत्र। (नमूना फॉर्मेट संलग्न)
12. जी० एस० टी० प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
13. अपने प्रतिष्ठान में माप–तौल कार्यालय से स्वयं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले माप–तौल उपकरणों का अद्यतन सत्यापन प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।
14. जिला कृषि पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन। (कार्यालय हेतु)
15. कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।(1000रू0 के स्टाम्प पेपर पर)/स्वयं की भूमि है तो प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रति।
16. यदि आयातक है तो : (क) आयातक प्रमाण प्रत्र की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति। (ग) आयातित उर्वरक का सरकारी संस्था के प्रयोगशाला का विश्लेषण प्रतिवेदन।
17. सरकार द्वारा अधिसूचित/सरकारी संस्था के प्रयोगशाला का फार्म–J एवं L में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन।
18. (नोटः– नयी विनिर्माता कंपनी के मामले में छुट दी जायेगी परंतु विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत होने के तीन माह के अंदर फार्म–J एवं L में निर्गत गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा।)
19. सभी छायाप्रति कागजात का स्वअभिप्रमाणित प्रति।